

 एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक)			
रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)			
परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1) कच्चा सूचना)			
जबकि अधोस्तासर्करता एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति श्रित प्रवर्तन अधिनियम 2००2 (2००२ का 54) और प्रतिभूतिश्रित प्रवर्तन नियम, 13 (12) का संपठित नियमों के नियम (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणियों को मांग सूचना पत्र निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्गमित कर तालिका में राशि 6० दिवस के भीतर चुकाने के लिये कड़ा गया था।			
ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्ता/ जमानतदार का नाम /ऋण खाता सं.	धारा 1१(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कच्चे की तारीख
ऋण खाता सं.: 19001060133765222 राजेंद्र बेंदू (ऋणी) , कुलदीप कसाना (सह-ऋणी)	13 अक्टूबर 2023 ₹.743196/- रु. सात लाख तैतालिस हजार एक सौ छियासब मात्र 10 अक्टूबर 2023	सम्पत्ति के सभी अधिन अंग रिहायशी/नैरिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 502, दुत्तावेज नं. 5747, गांव-गढी कलंजरी, तहसील खोकरा, शिव मंदिर, जिला-बागपत, उत्तरप्रदेश क्षेत्रफल 185 वर्ग गज	04 मई 2024
ऋण खाता सं.: 19001060130671599 जसवीर रबळा (ऋणी) , भगवती (सह-ऋणी), कर्मवीर भाटौी (सह-ऋणी)	17 नवम्बर 2023 ₹.1680061/- रु. सौलह लाख अस्सी हजार इकसठ मात्र 15 नवम्बर 2023	सम्पत्ति के सभी अधिन अंग रिहायशी/नैरिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 166, गांव बडपुरा परगना, तहसील-दादरी, जिला-गौतम बुद्ध नगर, उत्तरप्रदेश क्षेत्रफल 952.16 वर्ग गज	04 मई 2024
ऋण खाता सं.: 19001060125954764 संजिव खरी (ऋणी) , श्रीमती पूजा खरी (सह-ऋणी)	12 फरवरी 2024 ₹.1069526/- रु. दस लाख उन्धत्तर हजार पाँच सौ छब्बिस मात्र 12 फरवरी 2024	सम्पत्ति के सभी अधिन अंग रिहायशी/नैरिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित गाटा नं. 1505, मोहल्ला हौरा काली नं.0, तहसील-सिकन्दराबाद, जिला-बुलन्दशहर, उत्तरप्रदेश-203205 क्षेत्रफल 114 वर्ग गज सम्पत्ति की चारों सीमाएं पूर्व-सोनु का प्लाट, पश्चिम-रजौत और अन्यों का खेत, उत्तर-अन्यों का प्लाट, दक्षिण-रोड	04 मई 2024
ऋण खाता सं.: 19001061124294505 बेबी मिश्रा (ऋणी) , सत्येंद्र कुमार (सह-ऋणी)	09 नवम्बर 2023 ₹.156528/- रु. एक लाख छठ्ठन हजार पाँच सौ अठ्ठाईस मात्र 07 नवम्बर 2023	सम्पत्ति के सभी अधिन अंग रिहायशी/नैरिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 643, तीसरी मंजिल, खैबत खतौनी नं. 22 29, इन्दिरा मार्क, पालम कॉलोनी, बिहारिंग नं. R.2 19 E गली नं. 9, नसीरपुर, नई दिल्ली क्षेत्रफल 57 वर्ग गज	04 मई 2024
ऋणियों द्वारा वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणियों को तथा सामान्य जन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोस्तासर्करता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा संपठित प्रतिभूतिश्रित प्रवर्तन नियम, 2००2 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में उपरोक्त तालिका में वर्णित सम्पत्ति का कच्चा ग्रहण कर लिया है। ऋणियों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है। ऋणियों को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार उपरोक्त तालिका में वर्णित राशि तथा आगे का ब्याज एवं कुल भुगतान होने तक "एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड" (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक) के प्रभार के अधीन होगा।			
स्थान:दिल्ली	दिनांक: 08-मई-2024	प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड	



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

Central Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालय (सेंट्रल)

1398, प्रथम तल, चौदवी चौक,
दिल्ली-110006, दूरभाष: 011-41028985

ई-नीलामी
बिक्री सूचना

(सर्फेसी अधिनियम 2002 के तहत)

1911 से आपके लिए "केन्ट्रल" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

परिशिष्ट - IV - A [नियम 8(6) का प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक/सांकेतिक कच्चा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बकायें की वसूली हेतु उसकी बिक्री 19.06.2024 को "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि (ईएमडी) सम्बद्ध सम्पत्तियों के विवरणों के समूख प्रदर्शित है। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया www.centralbankofindia.co.in अथवा <https://ibapi.in> में प्रावधानित लिंक देखें।

19.06.2024 को नीलामी की जाने वाली सम्पत्तियों का विवरण (30 दिवसीय सूचना)

क्र.सं.	शाखा का नाम	अधिकृत प्राधिकारी/या.प्र.	खाने का नाम	सम्पत्ति का विवरण तथा स्वामी का नाम	बीग सूचना को निधि एवं बकाया राशि (रु. लाख में)	बिक्री की तिथि एवं प्रकार	अंतिम कीमत रु. (अंतिम कीमत)	रु. लाख में
1.	वरवाला नई दिल्ली	श्री अजय शर्मा मोबाइल: 9711196480	मेसर्स रईस इंटरप्राइजेज	सम्पत्ति क्रमांक एस-221/176 के भाग के खसरा संख्या 22/21/1 के हिस्से पर निर्मित दूसरी मंजिल आवासीय भिना छत एवं टैरेस के अधिकार के, ब्लॉक-एस, गली नंबर 4, ग्राम ख्याला कॉलोनी, कॉलोनी जिसे विष्णु गार्डन के नाम से जाना जाता है, नई दिल्ली-110018, क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर. 484.38 वर्ग फुट. मालिक का नाम: श्री रईस खान पुत्र श्री मोहम्मद इशाक	17.06.2023 ₹.30.36 लाख + ब्याज + अन्य प्रभार	19.03.2024 (भौतिक कच्चा)	₹ 27,00,000/- ₹ 2,70,000/-	
2.	बवाना नई दिल्ली	श्री अजय शर्मा मोबाइल: 9711196480	उर्मिल सचदेवा	छत के अधिकार के बिना पूरी पहली मंजिल, संपत्ति संख्या डब्ल्यूजेड-1888, जी + 3 मंजिला इमारत में प्लॉट नंबर 29 पर निर्मित, रानी बाग, शकूर बस्ती, दिल्ली-110034 क्षेत्रफल 100 वर्ग गज. (900 वर्ग फुट) मालिक: श्री रमन कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री अमृत लाल सचदेवा और श्रीमती उर्मिल सचदेवा पत्नी स्वर्गीय श्री अमृत लाल सचदेवा।	11.06.2023 ₹.50.19 लाख + ब्याज + अन्य प्रभार	20.03.2024 (भौतिक कच्चा)	₹ 44,00,000/- ₹ 4,40,000/-	
3.	मितराल नई दिल्ली	श्री धीरज कुमार मोबाइल 8800013470	अशोक कुमार मुन्ना	प्लॉट नंबर जी-99 और जी-99ए, दूसरी मंजिल (सामने की ओर), प्लॉट नंबर एस-1, दिना छत के अधिकार के, (इमारत जिसे राम कुपाल बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है), पालम अपार्टमेंट, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली-110045. क्षेत्रफल - 720 वर्ग फुट (80 वर्ग गज) मालिक का नाम: अशोक कुमार मुन्ना पुत्र श्री भगवान दास	13.04.2018 ₹.33.01 लाख + ब्याज + अन्य प्रभार	01.04.2024 (भौतिक कच्चा)	₹ 32,50,000/- ₹ 3,25,000/-	
4.	पटेल नगर नई दिल्ली	श्री धीरज कुमार मोबाइल 8800013470	राम गोपाल	डीडीए एलआईजी प्लेटे नंबर 318, भूतल, पॉकेट 9, नसीरपुर, द्वारका फेज-1, नई दिल्ली-110045 क्षेत्रफल - 441 वर्ग फीट. मालिक का नाम: राम गोपाल पुत्र श्री बलवंत सिंह	29.09.2023 ₹.75.84 लाख + ब्याज + अन्य प्रभार	20.03.2024 (भौतिक कच्चा)	₹ 35,00,000/- ₹ 3,50,000/-	

ई-नीलामी की तिथि: 19.06.2024, समय: 12:00 बजे दोपहर से 04:00 बजे सयक तक 10 मिनट को स्वतः विस्तार सहित
ईएमडी तथा दस्तावेज (अंतिमलाइन) जमा करने की अंतिम तिथि तथा समय: 18.06.2024 को 04:00 बजे अप. तक। संविदाकार बेवसाइट: <https://www.msstcecommerce.com> पर पंजीकरण करेंगे तथा कंवाईसी दस्तावेज जमा करेंगे और सेवा प्रदाता द्वारा दस्तावेजों के स्त्यापन के बाद एनईएफटी/आरटीजीएस/ अन्तरण के माध्यम से ईएमडी क्लोबक ईएमडी बालेट में जमा की जानी है (<https://www.msstcecommerce.com>) के माध्यम से संचालित की जायेगी। ई-नीलामी "जहाँ है जैसै है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहाँ है" आधार पर आयोजित की जायेगी। (सम्पत्ति के अन्य सभी शुल्क/बकाया क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे) विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट: www.centralbankofindia.co.in अथवा नीलामी प्लेटफॉर्म (<https://msstcecommerce.com>) में प्रावधानित लिंक देखें। हेल्पलाइन नं.: 033-229०1004.

सर्फेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना
कर्जदार/ जमानतियों/ बंधककर्ताओं को एतद्द्वारा ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं अनुपंगी व्ययों सहित उपर्युक्त राशि अदा करने के लिये अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल होने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों सहित वसूल किया जायेगा।

दिनांक: 08.०5.2024
स्थान: दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शे. का. (सेंट्रल), चौदमी चौक, दिल्ली

 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, 32 सामुदायिक केंद्र, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली, 110025	
कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)	
जबकि अधोस्तासर्कारी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिश्रित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार श्री सुनील कुमार सिंह और श्रीमती सीता सिंह को मांग सूचना दिनांक 30.09.2023 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि ₹.13,22,881.31 (रु. तेरह लाख बाईस हजार आठ सौ इक्कासी और पैसे इकतीस मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भूगतान करने को कहा गया था । कर्जदार राशि का प्रतिभूतगुतान करने में असफल हो गये है. इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोस्तासर्कारी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कच्चा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत शक्तियों के इस्तेमाल के अंतर्गत दिनांक 03.05.2024 को लिया है। विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ इंडिया, के प्रभार वाले रु. 13,22,881.31 (रु. तेरह लाख बाईस हजार आठ सौ इक्कासी और पैसे इकतीस मात्र) और नबिन्धा का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान एवट की धारा 13 की उप-धारा (8), के प्राधान्यों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।	
अचल संपत्ति का विवरण	
संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूतल पर प्लेटे नंबर-82 ए में पूरा निर्मित मकान सोसाइटी में जिसे सनशाइन अपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है ब्लॉक-सी सेक्टर 99 नोएडा, यूपी- 201304 में स्थित, क्षेत्रफल 40 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री सुनील कुमार सिंह के नाम पर है। चौहरी: उत्तर में - प्रवेश मार्ग, दक्षिण में - खुली सड़क, पूर्व में - प्लेटे नं. 83ए, पश्चिम में - प्लेटे नं. 81ए	
दिनांक : 03-05-2024, स्थान : नई दिल्ली	प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

 इंडियन बैंक	शाखा: सफदरजंग एक्सलेव शाखा
ईमेल: sdenclave@indianbank.co.in	
परिशिष्ट- IV (नियम -8 (1)) कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)	
जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोस्तासर्कारी ने मांग सूचना तिथि 29.02.2024 जारी कर ऋणधारक (1) मै. विशाल फैब्रिकेटर (प्रॉप्राइटरशिप फर्म), 2) श्री विशाल कपूर, पुत्र श्री अमोद कपूर (ऋणधारक एवं प्रॉप्राइर), 3) श्री अमोद कपूर, पुत्र वृ.ज. जयदीप चन्दर कपूर (गारंटर), 4) श्री विशाल कपूर, पुत्र श्री अमोद कपूर (गारंटर) जिनकी एसीएफ्टी एक्सलेव शाखा में खाता है, को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 44,47,879.77/- (अब्बो में रु. चौआलिस लाख सैतालिस हजार आठ सौ उन्वाली तथा पैसे सत्तरह मात्र) तथा भुगतान की तिथि तक 16.1.2024 से उस पर ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक उस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आठ, 07 मई, 2024 को अधोस्तासर्कारी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोस्तासर्कारी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कच्चा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 16.01.2024 को रु. 44,47,879.77/- (शब्दों में रु. चौआलिस लाख सैतालिस हजार आठ सौ उन्वाली तथा पैसे सत्तरह मात्र) के साथ उस पर आगे के ब्याज, लागत, चार्जेज तथा खर्चों के लिये इंडियन बैंक के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्राधान्यों के प्रति आकृष्ट की जाती है।	
अचल सम्पत्ति का विवरण	
प्लॉट नं. 7 मरला (500 वर्ग यार्ड्स), खैबत खतौनी नं. 55/56, खसरा नं. 49, किल्ला नं. 4/2 (0-3) 6/2 (5-0) 7/1 7/1-1 (3) 26 (0-18), कुल 7 कनाल 6 मरला, 44/46 का भाग, मौजा मुमैदर, बल्लभपुराड, फरीदाबाद, हरियाणा-121005 में स्थित सम्पत्ति का ईएम। सम्पत्ति की अवस्थिति: चौहरी: उत्तर: 22 फीट चौड़ा रोड, पूर्व: ससतन सं. 5ए, दक्षिण: प्लॉट नं. 32 पश्चिम: सम्पत्ति सं. 3ए	
तिथि: 07.05.2024 स्थान: एसडी एक्सलेव, नई दिल्ली	प्राधिकृत अधिकारी इंडियन बैंक

सार्वजनिक सूचना	
(आईसीडी कोड 2016 की धारा 102 तथा (निर्माण) देवदार के व्यक्तिगत गारंटियों हेतु ऋणधोखा बनाम सभाजन प्रक्रिया) विनियमवली 2019 का विनियम 7)	
बेनोलिड इंडिया लिमिटेड में व्यक्तिगत गारंटर सुनील धर्मा के ऋणदाताओं के प्यानार्ड	
	प्रासंगिक विवरण
1.	व्यक्तिगत गारंटर का नाम सुनील धर्मा कॉर्पोरेट देवदार का नाम जिसके लिए व्यक्तिगत गारंटर द्वारा गारंटी दी गई थी बेनोलिड इंडिया लिमिटेड
2.	आवेदन स्वीकार करने वाले आवेदक का विवरण माननीय एनसीएलएसी-नई दिल्ली पीएन से पीसी (आईसी)-872/-एनसीडी/2020 (आईसी)-8005/-2021 के अंतर्गत विनियम 26 अर्हत 2019 के अंतर्गत के तहत बेनोलिड इंडिया लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर श्री सुनील धर्मा के विरुद्ध ऋणधोखा बनाम सभाजन प्रक्रिया शुरू की थी।
3.	व्यक्तिगत गारंटर का पता 31-23 भवनावा दास नगर भूखी पंचांगी बाग नई दिल्ली 110026
4.	व्यक्तिगत गारंटर के संबंध में ऋणधोखा बनाम सभाजन प्रक्रिया होने की तिथि 26.04.2024 (दिनांक 26.04.2024 को स्वीकार) तथा विस्तृत आवेद 07.05.2024 को एनसीएलएसी वेबसाइट पर अपलोड किया गया 23.10.2024
5.	व्यक्तिगत गारंटर के संबंध में ऋणधोखा बनाम सभाजन प्रक्रिया के समापन की अनुमति तिथि मनीष गुप्ता HBB1VIPA-001/IP-101452/2018-19/12280
6.	प्रभारक के लिए उपयोग किए हुए समापन व्यवसायी का पता तथा ई-मेल जी-37 इंडिया प्लॉट सेक्टर-3, गोवादा 201301 sunlsharmag01@gmail.com
7.	बैंडों के साथ पंजीकृत समापन व्यवसायी का पता तथा ई-मेल 331 गंगा सॉलिंग कॉम्प्लेक्स ।।। सेक्टर 29 गोवादा 201301 manegupta1@gmail.com
8.	दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.05.2024
9.	प्रासंगिक प्रपत्र तथा प्राधिकृत प्रतिनिधि का विवरण सह उपलब्ध है।
10.	दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.05.2024
(क) सार्वजनिक डाउनलोड करने के लिए वेब लिंक : www.ibbi.gov.in/downloads/forms.html (ख) प्यानार्ड ईमेल आईडी : sunlsharmag01@gmail.com	
एनदार सुनील किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी भित्तिक अधिनियम के दिनांक 26-04-2024 को बैसस बेनोलिड इंडिया लिमिटेड में व्यक्तिगत गारंटर श्री सुनील धर्मा के विरुद्ध ऋणधोखा बनाम सभाजन प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है। (एनसीएलएसी वेबसाइट पर 07.05.2024 को अपलोड किया गया)	
एनदार श्री सुनील धर्मा के ऋणदाताओं को निर्देश दिया जा रहा है कि वे मन सं. 8 के समक्ष वर्णित पते पर, सभाजन व्यवसायी के पास 30-05-2024 को अपना दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं, साथ हीगत अपने दावों को प्रस्तुत करें।	
दावों के अंतर्गत निर्माण देवदार के व्यक्तिगत गारंटर द्वारा ऋणधोखा बनाम सभाजन प्रक्रिया) विनियमवली 2019 के विनियम 7(1) के अनुसार निर्माणित विनिर्दिष्ट प्रभार के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं।	
● पत्रादि भी - कृपया, रीहल परेश अथवा पंजीकृत पते के माध्यम से अपना इलैक्ट्रॉनिक नोटायस द्वारा विनियमवली 2019 के विनियम 7(1) के अनुसार निर्माणित विनिर्दिष्ट प्रभार के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं।	
दावों के अंतर्गत अपना प्रभारक साथ प्रस्तुत करने पर दंड अंतर्गत किया जाएगा।	
नवीन पुरा सभाजन व्यवसायी HBBVIPA-001/IP-101452/2018-19/12280 एकर प्रमाणपत्र सं. AA1/12280/02/130724/105906 एकर 13.07.24 सेक व	
दिनांक : 09-05-2024	
स्थान : नोएडा	